



न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली, जनपद बदायूँ।

दिनांक-10-03-2026

| | | |
|--------------------|------|---------------------|
| सरकार | बनाम | ओमकार आदि। |
| धारा- 323, 504 IPC | | एनसीआर सं०-185/2018 |
| थाना- वजीरगंज | | जनपद बदायूँ |

निर्णय

1. आज पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **ओमकार, श्रीमती रामबेटी व श्रीमती पूनम देवी** जरिये जमानत स्वयं उपस्थित आये। उनके द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर अभियुक्तगण को अवगत कराया गया कि उनको कारावास के दण्ड एवं आर्थिक दण्ड दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्तगण ने कहा कि वे स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं अभियुक्तगण के बयान मुल्जिम अंकित किए जा चुके हैं, जिसमे उन्होने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व भय के अपना जुर्म स्वीकार किया।
2. चूंकि अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः बयान संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 323, 504 IPC के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनांक 10.03.2026

(शैफाली चंद्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसौली, जनपद, बदायूँ।
J.O.CODE. UP 4649

दण्ड के प्रश्न पर सुना।

3. उपरोक्त के आलोक में जहाँ अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अत्यंत गरीब व्यक्ति है। उपरोक्त प्रकरण सन 2018 का व प्राचीन है। प्रार्थीगण को अपने कृत्य पर पश्चाताप है प्रार्थीगण उपरोक्त वाद को चलाने में असमर्थ है। अतःमामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन पाती हूँ।

आदेश

4. दोषसिद्धगण ओमकार, श्रीमती रामबेटी व श्रीमती पूनम देवी को अन्तर्गत धारा 323, 504 IPC के तहत प्रत्येक को 5,00/- रुपये (कुल 1500/- रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 दिन का साधारण कारावास भोगेंगे। जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 10.03.2026

(शैफाली चंद्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसौली, जनपद, बदायूँ।
J.O.CODE. UP 4649

5- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया।

दिनांक 10.03.2026

(शैफाली चंद्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसौली, जनपद, बदायूँ।
J.O.CODE. UP 4649